


तिथि

पदाधिकारी आदेश

25/2/20

अभिलेख उपस्थापित।


उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक-...5.1.21.....को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
निरसा।

5/1/21

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबांदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित बन्दोबस्ती पर्चा, हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म-एम0, लगान-रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/फ्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।
अभिलेख दिनांक-...8.1.21.....को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
निरसा।


8/1/21

अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का

मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-
माशक 575, मौजा नं०-254, साबिक खाता सं०-91, साबिक
प्लॉट सं०-1020, रकवा-950 जिसका हाल खाता सं०-
हाल प्लॉट सं०- रकवा- गत् सर्वे
खतियान एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद
बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा
दिनांक-01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया
गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार
नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में
तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व
में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व
उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार...17 नं० 419
...के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-169 को रद्द करने की
अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा
के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के
तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-169 को रद्द करने हेतु अनुशंसा
के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर
समाहर्ता, धनबाद को भेजें।


अंचल अधिकारी,
निरसा।

साविक

अंचल अधिकारी 2024 का कार्यालय

971 ~~940/16-17~~

काद का प्रकार- बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाच एवं कार्रवाई से संबंधित।

आरखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपत्रित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-सर्वा-तह-विशेष विधि राज्य भूमि सुधार अधिनियम का पत्र/सदका-खा०म०नि०-1/85/2308/रा०, दिनांक-09.12.1985 एवं सह-भोजित राजस्व विभागीय, परिपत्र सदका-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जाच प्रारंभ की गयी। जाच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मोजा- पामकरी थाना- पामकरी, खाता संख्या- 91, प्लॉट संख्या- 1020
सदका 9990 की भूमि जो गैरमजरूआ खास भूजायद विभाग (आरखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसका जमाबंदी उर मोजा के पंजी-
के जिल्द संख्या- — के पृष्ठ संख्या- 169, पर जमाबंदी रयत रामचन्द्र शिव
के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा सामर्थ्य जांच प्रतिवेदन में प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जामबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के जारी की/ अवैध जारी की के आधार पर/ अवैध जोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना बांध्यनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-सदका से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद का मांग करें तथा उनको कारण-पृष्ठ पर करें, कि वयों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-..... को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
निरसा, धनबाद